

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-2 मैनपुरी ।
उपस्थित:रुबी सिंह , उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा

दिनांक:09.05.2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुयी । पुकार पर अभियुक्त.....
उपस्थित आया। अभियुक्त की ओर से अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । अभियुक्त का जुर्म स्वीकारोक्ति
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34
पुलिस एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया गया और मुव० 10/- रु० अर्थदण्ड अधिरोपित किया
गया । अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में अभियुक्त दो दिन के साधारण कारावास की
सजा भुगतनी होगी ।

पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार की जावे ।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-2
मैनपुरी ।